राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3308/2023

डॉ. गौसीया सुलताना फरहा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक–सह–उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, ईएसआई स्कीम, लक्ष्मी नगर, अजमेर रोड़, जयपुर।
3. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, ईएसआई अस्पताल नं. 8, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 15.12.2023
आदेश की दिनांक : 07.11.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : डॉ. कानु नीमावत, चिकित्सा अधिकारी प्रभारी

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 29.11.2023 एवं 06.12.2023 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को 6 माह का दूसरी बार मातृत्व अवकाश तीसरा पुत्र होने पर प्रदान किया जावे तथा समस्त लाभ दिये जावें।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर ईएसआई चिकित्सालय नं. 8, जयपुर में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी का पहला पुत्र वर्ष 2013 में हुआ था, जिसका मातृत्व अवकाश का उपभोग किया था और तत्पश्चात् अपीलार्थी ने प्रतिनियुक्ति प्रार्थना पत्र हज मिशन हेतु प्रस्तुत किया, जिसमें उसका चयन हुआ और उसके कारण द्वितीय मातृत्व अवकाश का लाभ द्वितीय पुत्र होने पर नहीं ले सकी और इस प्रकार अपीलार्थी ने मात्र एक ही मातृत्व अवकाश का लाभ लिया है और इस प्रकार तृतीय पुत्र होने पर द्वितीय मातृत्व अवकाश का लाभ लेने की अधिकारी है, जो राजस्थान सेवा नियम के नियम 103 के अंतर्गत मातृत्व अवकाश का लाभ लेने का प्रावधान है, जिसके क्रम में अपीलार्थी ने दिनांक 20.11.2023 को 6 माह के लिये मातृत्व अवकाश प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 29.11.2023 को निरस्त कर दिया गया। जबकि अपीलार्थी द्वितीय मातृत्व अवकाश लेने की हकदार है। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के आवेदन को उक्त नियमों के विपरीत जाकर निरस्त कर दिया गया है, जो नियम विरूद्ध है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 29.11.2023 एवं 06.12.2023 को अपास्त फरमाया जावे तथा अपीलार्थी को 6 माह का दूसरी बार मातृत्व अवकाश तीसरा पुत्र होने पर प्रदान किया जावे तथा समस्त लाभ दिये जावें।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुये यह प्रतिवाद किया गया है कि राजस्थान सेवा नियम के नियम 103 के अनुसार 2 से कम उत्तरजीवी संतानों वाली किसी महिला राज्य कर्मचारी को 180 दिवस तक का प्रसूति अवकाश उसके आरंभ होने की तारीख से स्वीकृत किया जा सकता है। यदि उसके द्वारा दो बार प्रसूति अवकाश का उपभोग करने के उपरांत भी उसके दो जीवित संतान नहीं हो तो ऐसे प्रकरण में एक बार और अर्थात् तीसरी बार प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। अपीलार्थी द्वारा प्रथम प्रसूति अवकाश प्रथम संतान पर उपभोग कर लिया गया एवं द्वितीय संतान पर कोई प्रसूति अवकाश का कोई आवेदन नहीं किया गया। नियमानुसार दो उत्तरजीवी संतान होने पर प्रसूति अवकाश देय नहीं है और इस प्रकार उक्त नियमों के आधार पर अपीलार्थी उक्त लाभ प्राप्त करने की हकदार नहीं है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमनें उभय पक्ष की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी विभाग के अधीन वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के पद पर ईएसआई चिकित्सालय नं. 8, जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी का पहला पुत्र वर्ष 2013 में हुआ था, जिसका मातृत्व अवकाश का उपभोग किया था और तत्पश्चात् अपीलार्थी ने प्रतिनियुक्ति प्रार्थना पत्र हज मिशन हेतु प्रस्तुत किया, जिसमें उसका चयन हुआ और उसके कारण द्वितीय मातृत्व अवकाश का लाभ द्वितीय पुत्र होने पर नहीं ले सकी और इस प्रकार अपीलार्थी ने मात्र एक ही मातृत्व अवकाश का लाभ लिया है और इस प्रकार तृतीय पुत्र होने पर द्वितीय मातृत्व अवकाश का लाभ लेने की अधिकारी है, जो राजस्थान सेवा नियम के नियम 103 के अंतर्गत मातृत्व अवकाश का लाभ लेने का प्रावधान है, जिसके क्रम में अपीलार्थी ने दिनांक 20.11.2023 को 6 माह के लिये मातृत्व अवकाश प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 29.11.2023 को निरस्त कर दिया गया। जहां तक राजस्थान सेवा नियम के नियम 103 के अंतर्गत अपीलार्थी को तृतीय बच्चा होने पर द्वितीय मातृत्व अवकाश का लाभ प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नहीं दिये जाने का प्रश्न है, हम प्रत्यर्थी विभाग के इस तर्क से सहमत हैं कि राजस्थान सेवा नियम के नियम 103 के अनुसार 2 से कम उत्तरजीवी संतानों वाली किसी महिला राज्य कर्मचारी को 180 दिवस तक का प्रसूति अवकाश उसके आरंभ होने की तारीख से स्वीकृत किया जा सकता है। यदि उसके द्वारा दो बार प्रसूति अवकाश का उपभोग करने के उपरांत भी उसके दो जीवित संतान नहीं हो तो ऐसे प्रकरण में एक बार और अर्थात् तीसरी बार प्रसूति अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। परंतु वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रथम प्रसूति अवकाश प्रथम संतान पर उपभोग कर लिया गया एवं द्वितीय संतान पर कोई प्रसूति अवकाश का कोई आवेदन नहीं किया गया। नियमानुसार दो उत्तरजीवी संतान होने पर प्रसूति अवकाश देय नहीं है। इस प्रकार हम अपीलार्थी के उक्त तर्कों में कोई बल नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज फरमाये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील बलहीन एवं सारहीन होने के कारण मय स्थगन प्रार्थना पत्र के एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य